न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 152/2018

1. सिंडिकेट बैंक शाखा दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स दिलीप सीमेन्ट कंकरीट एवं सीमेन्ट उद्योग, प्रो0 श्रीमती केशंता देवी पत्नि श्री कैलाश चन्द सैनी
2. श्री कैलाश चन्द सैनी पुत्र श्री जयनारायण सैनी
   पता :– ढाणी नाई कोठी, गांव भांडारेज तहसील व जिला दौसा(राज0)

अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री कानसिंह राजावत, प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक।

दिनांक: 01.10.2019

आदेश

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सिंडिकेट बैंक शाखा दौसा ने अप्रार्थी/ऋणीगण मैसर्स दिलीप सीमेन्ट कंकरीट एवं सीमेन्ट उद्योग, प्रो0 श्रीमती केशंता देवी पत्नि श्री कैलाश चन्द सैनी को 5,00,000/(रूपये पांच लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी सिंडिकेट बैंक शाखा दौसा को सुना गया। हमने प्रार्थी सिंडिकेट बैंक शाखा दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी सिंडिकेट बैंक शाखा दौसा को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा सं0 93 दिनांक 05.8.2015 ग्राम पंचायत भाण्डारेज पंचायत समिति दौसा आवासीय भूमि और भवन जो कि ढाणी नाई कोठी, गॉव भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा (राज0) में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1020 वर्गफीट है जो कि कैलाश चन्द सैनी पुत्र श्री जयनारायण सैनी के नाम से है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी सिंडिकेट बैंक शाखा दौसा को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 01 अक्टूबर 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official